भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3666

21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

सिकंदराबाद छावनी परिषद में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां

3666. श्री इटेला राजेंदर:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह गारंटी देने के लिए कोई विशेष उपाय किया है कि सिकंदराबाद छावनी परिषद, तेलंगाना में कोविड-19 महामारी के दौरान दिवंगत सफाईकर्मियों के लिए अनुकंपा नियुक्तियों के लिए 5 प्रतिशत रिक्ति सीमा को माफ कर दिया जाए, क्योंकि उनकी सेवा आवश्यक थी और उनके परिवार इससे प्रभावित हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख): छावनी परिषद, सिकंदराबाद में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति संबंधी 5 प्रतिशत सीमा में छूट देने के प्रस्ताव की नोडल विभाग अर्थात् डीओपीटी के साथ परामर्श से जांच की गई है। डीओपीटी द्वारा सूचित किया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण सेवाकाल के दौरान दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के आश्रित परिवार-सदस्यों को अलग श्रेणी के रूप में नहीं माना जा सकता और ऐसे उम्मीदवारों को 5% कोटे के तहत ही कवर किया जाएगा। इसके अलावा, छावनी परिषद, सिकंदराबाद द्वारा मौजूदा सरकारी नीति/दिशानिर्देशों के तहत पहले ही 22 पात्र उम्मीदवारों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दी जा चुकी है।

*****